उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक का आयोजन मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2026 को प्रशासनिक भवन के ई0सी0 हाल में किया गया। हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. डॉ0 अजय सिंह, मा0 कुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।
2. डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं प्रतिकुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
3. डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।
4. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, यूपीयूएमएस, सैफई।
5. डॉ0 अमित सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सी0वी0टी0एस0 एवं चिकित्सा अधीक्षक, यूपीयूएमएस, सैफई।
6. डॉ0 विजय मिश्रा, कुलानुशासक, यूपीयूएमएस, सैफई।
7. डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
8. डॉ0 मनोज कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
9. डॉ0 रवि रंजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आप्थलमोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
10. डॉ0 आदिल रहमान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बायोकमेस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
11. डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
12. डॉ0 रीना शर्मा, प्रोफेसर आप्थलमोलाजी एवं एसोसिएट डीन, यूपीयूएमएस, सैफई।
13. डॉ0 धीरज श्रीवास्तव, प्रोफेसर कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
14. डॉ0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर, आर्थोपेडिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।
15. डॉ0 दुर्गेश कुमार, उप–चिकित्सा अधीक्षक, आई0पी0डी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
16. डॉ0 अतुल कुमार सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ओरल मैक्जिलोफेशियल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।
17. डॉ0 राजेश कुमार ठाकुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पेरियोडोन्टोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
18. डॉ0 स्वेता एस कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डर्मेटोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
19. डॉ0 रफे ए रहमान, इन्चार्ज सी0ए0सी0 (आई0टी0), यूपीयूएमएस, सैफई।
20. डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, प्लास्टि सर्जरी एवं बर्न सेन्टर, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
21. डॉ0 विनय कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर, पी0एम0आर0, यूपीयूएमएस, सैफई।
22. डॉ0 अतुल मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, रेडियेशन आंकोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
23. डॉ0 अंकित सचान, उप–चिकित्सा अधीक्षक, सुपरस्पेशियालिटी ओ0पी0डी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
24. डॉ0 सिद्धार्थ कुमार, उपचिकित्सा अधीक्षक, एम0एस0 आफिस, यूपीयूएमएस, सैफई।
25. डॉ0 हिमान्शू प्रिन्स यादव, उपचिकित्सा अधीक्षक–2, यूपीयूएमएस, सैफई।
26. डॉ0 सजग कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, न्यूरो सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
27. डॉ0 संजीव यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।
28. डॉ0 सुभाष चन्द्रा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, कार्डियोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
29. डॉ0 यतेन्द्र मोहन, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
30. डॉ0 रवि प्रताप सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, पैथालोजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
31. डॉ0 अनीता, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।
32. डॉ0 अजय कुमार, इन्चार्ज सेन्ट्रल लैब, बायोकमेस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।
33. डॉ0 संजय कनौजिया, इन्चार्ज सेन्ट्रल लैब, पैथालोजी, यूपीयूएमएस, सैफई (आनलाईन प्रतिभाग किया)।
34. डॉ0 विश्वनाथ सिंह यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, को–इन्चार्ज, सेन्ट्रल लैब माईक्रोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।
35. श्रीमती लवली जेम्स, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, यूपीयूएमएस, सैफई।
36. श्री अताउर्रहमान खान, असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिविल, यूपीयूएमएस, सैफई।
37. श्री सौरभ पुरी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनिधि वित्त अधिकारी), यूपीयूएमएस, सैफई।
38. श्री पी0के0 शुक्ला, सीनियर फार्मासिस्ट, यूपीयूएमएस, सैफई।
39. श्री मनोज कुमार मौर्या, एम0एस0एस0ओ0 ग्रेड–1, यूपीयूएमएस, सैफई।

इस प्रकार हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 20.06.2026 में कुल 39 सदस्य उपस्थित रहे।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त हॉस्पिटल बोर्ड की कार्यवाही और लिए गये निर्णय निम्नवत हैं:–

एजेण्डा बिन्दु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
एजेण्डा बिन्दु 3.1 **हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जानी अपेक्षित है। **प्रस्तावः** – हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 का कार्यवृत्त हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया था, किसी भी सदस्य से कार्य परिषद के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उक्त के दृष्टिगत हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	
एजेण्डा बिन्दु 3.2 **हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 की अनुपालन आख्या निम्नवत है–

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
1.1	**इमरजेन्सी एवं ट्रामा में मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत इमरजेन्सी जोन का विस्तार किये जाने हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा कार्य करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए ओपेन टेंडर के माध्यम से करने की संस्तुति प्रदान की गयी।	हॉस्पिटल बोर्ड के एजेण्डा बिन्दु 1.1 पर प्रस्तावित बिन्दुओं पर लिए गये निणर्य के कम में की गयी कार्यवाही निम्नवत है– 1. 14 बेडेड इमरजेन्सी जोन वार्ड–सी स्थापित किया जा चुका है। 2. स्लीप लैब को 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी की आई0पी0डी0 सेवा प्रारम्भ होते ही स्थानान्तरित किया जाएगा। 3. अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं 260/यूपीयूएमएस/अभि./2026–27 दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि बेड हैड पैनल विद ऑक्सीजन सप्लाई सक्शन व कम्प्रैस्ड एअर की व्यवस्था हेतु टेन्डर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसका तकनीकी मूल्यांकन कर लिया गया है एवं वित्तीय निविदा

		खोले जाने हेतु अनुमोदन की प्रकिया प्रचलन में है।
1.2	**विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में उपकरणों और फर्नीचर को स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में आवश्यक्तानुसार स्थानान्तरित किए जाने हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय की आई0पी0डी0 संचालित नहीं होने के कारण वहाँ स्थापित समस्त उपकरण जिन्हें स्थानान्तरित किया जा सकता है उक्त प्रस्तावानुसार स्थानान्तरित करने एवं शेष उपकरणों एवं फर्नीचर को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में सुरक्षित रखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	कार्यान्वित **(Implemented)**
1.3	**विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु 324 अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या में वृद्धि एवं उक्त सुरक्षा कार्मिकों को सर्विस कान्ट्रेक्ट के माध्यम से staggered manner में लिए जाने के निर्णय पर कार्यपरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।	कार्यान्वित **(Implemented)** (हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में कार्यपरिषद की 14वीं बैठक के एजेण्डा बिंदु 14.10 पर प्रस्तुत किया गया)
1.4	**विश्वविद्यालय के 500 बैडेड सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में अक्सर होने वाली चोरी की घटना के रोकथाम हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव को अपनी संस्तुति प्रदान की गयी। 1. आवश्यक्तानुसार सुरक्षा के	कार्यान्वित **(Implemented)** (as per Agenda point 1.2) अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करने हेतु फायर एग्जिट एवं अन्य संवेदनशील प्रवेश बिंदुओं पर आवश्यक

		दृष्टिगत 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में स्थापित समस्त उपकरण एवं फर्नीचर को स्पेशलिटी चिकित्सालय में संचालित सुपर स्पेशलिटी एवं स्पेशलिटी विभागों में स्थानान्तरित कर दिया जाए। 2. समस्त फायर एग्जिट को तत्काल बंद करवा दिया जाए, जिससे उक्त स्थल से अनाधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सके। 3. सुपर स्पेशलिटी के भूतल पर स्थापित ओपीडी ए एवं बी एवं इसके ऊपर के प्रथम तल पर स्थापित हॉल को ही संचालित रखते हुए शेष स्थल को अग्रेतर आदेशों तक बंद रखा जाए।	सुरक्षा प्रबंध एवं निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है, जबकि आपातकालीन निकास की कार्यक्षमता यथावत रखी गई है।
	1.5	**विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा SOP for Medical Facility to residents (JR and SR) and UG Students of all faculties of UPUMS को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने में सहमति प्रदान की गयी। सीटी एवं एमआरआई हेतु कन्सलटेंट के हस्ताक्षर, संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं चिकित्सा अधीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर की व्यवस्था को अनिवार्यतः लागू करने हेतु कहा गया ।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 995 / एम.एस. / 169 / यूपीयूएमएस / 2025 – 26 दिनांक 31.12.2025)
	1.6	**विश्वविद्यालय में कार्यरत् नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो लम्बे समय से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे है उनके संबंध में अग्रेतर कार्यवाही करने विषयक।**	**कार्यान्वित (Implemented)** इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ को निम्नलिखित पत्र

		हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति प्रदान की गयी– 1. मरीजों के हित में ऐसे समस्त नान–पी0जी0 जे0आर0, जो बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं, उन्हें 07 दिवस का नोटिस भेजा जाये। 2. नोटिस अवधि में यदि उक्त नान–पी0जी0 जे0आर0 अपने तैनाती स्थल पर रिपोर्टिंग नहीं करते तो उन्हें आवंटित कक्ष/हॉस्टल खाली करा दिया जाएगा एवं वरिष्ठता के क्रम में किसी अन्य नॉन पी0जी0 जे0आर0 जो नियमित रूप से मरीज हित में कार्यरत हो को आवंटित कर दिया जायेगा एवं उनको प्रदान की जा रही समस्त सेवाएं मेस, पुस्तकालय, बिजली, जिम इत्यादि बन्द कर दी जायेंगी। 3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को उक्त नान–पी0जी0 जे0आर0 के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित की जायेगी।	प्रेषित किये गये– 1. पत्र सं. 4645/इ/यूपीयूएमएस / अधि.–3 (2008 सी.डी.)/2025–26 दिनांक 19.03.2026 2. पत्र सं. 825/इ/यूपीयूएमएस/ अधि.–3 (2008 सी.डी.)/2026–27 दिनांक 05.06.2026
	1.7	**हर्बल गार्डन को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन करने एवं हर्बल गार्डन विकसित करने हेतु भविष्य में चिन्हित स्थल पर उक्त प्रस्तावित समस्त कार्यवाही होने के उपरांत उक्त कार्य को विश्वविद्यालय के हार्टीकल्चर अनुबंध के अंतर्गत लाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	**कार्यान्वित (Implemented)** उक्त के अतिरिक्त हार्टीकल्चर अनुबन्ध हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

	1.8	**नर्सिंग संवर्ग के पदधारक–नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के निर्धारित कार्य दायित्व निर्धारित/ परिभाषित किये जाने हेतु।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों हेतु जारी आदेश संख्या 721/MS/UPUMS/ 2024–25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024 के अनुसार कार्य लिए जाने हेतु एक समिति (मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग यूनियन, चिकित्सालय एवं प्रशासन से नामित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए) गठित करने की संस्तुति प्रदान की गयी। समिति उक्त आदेश में परिभाषित नर्सिंग संवर्ग के पदधारकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व की पुनः समीक्षा करते हुए प्रस्ताव को हास्पिटल बोर्ड की बैठक में पुनः प्रस्तुत करेगी।	हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के क्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, यूपीयूएमएस को पत्र संख्या 994/ एम.एस. /169/ यूपीयूएमएस / 2025–26 दिनांक 31.12. 2025 द्वारा समिति गठित करने हेतु पत्राचार किया गया था। उक्त के पश्चात पत्र संख्या 200/एम.एस./169 (एच.बी.)/ यूपीयूएमएस/2026– 27 दिनांक 12.06.2026 द्वारा पुनः पत्राचार किया गया। समिति के गठन के पश्चात प्राप्त आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
	1.9	**विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य निर्धारित करने विषयक।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की गयी– विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य दायित्व निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित की जाये। उक्त समिति ने समस्त स्टेकहोल्डर विभागों से सम्बन्धित चिकित्सक, प्रशासनिक एवं वित्त विभाग से सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रत्येक टेक्नीशियन संवर्ग से सम्बन्धित एक कार्मिक को सम्मिलित करते हुए उक्त विषय पर अपना सुस्पष्ट	हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के क्रम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, यूपीयूएमएस को पत्र संख्या 994/एम.एस. /169/ यूपीयूएमएस / 2025–26 दिनांक 31.12. 2025 द्वारा समिति गठित करने हेतु पत्राचार किया गया था। उक्त के पश्चात पत्र संख्या 200/एम.एस./169 (एच.बी.)/ यूपीयूएमएस/2026– 27 दिनांक 12.06.2026 द्वारा पुनः पत्राचार किया गया। वर्तमान में समिति के गठन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। समिति द्वारा आख्या अपेक्षित है।

		प्रस्ताव हास्पिटल बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु चिकित्सा अधीक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा।	
	1.10	**मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर के संवर्ग की स्थानान्तरण पॉलिसी के निर्धारण हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा समस्त नॉन फैकल्टी कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु भविष्य के लिए पॉलिसी निर्धारित करने हेतु UP Govt Transfer Policy Manual को आधार बनाते हुए uniform policy गठित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।	हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को पत्र संख्या 994/एम.एस./169/ यूपीयूएमएस/25– 26 दिनांक 31.12.2025 द्वारा नयी समिति गठित करने हेतु पत्राचार किया गया था। उक्त के पश्चात पत्र संख्या 200/एम.एस./169 (एच.बी.)/ यूपीयूएमएस/ 2026–27 दिनांक 12.06.2026 द्वारा पुनः पत्राचार किया गया। पत्र संख्या 217/चि.अधि.का./169एच.बी./यूपीयूएमएस/2026 –27 दिनांक 18.06.2026 के द्वारा नयी समिति गठित करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलसचिव महोदय को पत्र प्रेषित किया गया।
	1.11	**विश्वविद्यालय में अमृत फार्मेसी प्रारम्भ करने विषयक।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा अधिशासी अभियंता से अमृत फार्मेसी के निर्माण कार्यो हेतु चिन्हित स्थल का स्थलीय परीक्षण करते हुए उक्त स्थल पर भूमिगत पाइप लाइन एवं विद्युत लाइन इत्यादि की निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्तता से सम्बन्धित आख्या प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।	विश्वविद्यालय के द्वारा अमृत फार्मेसी हेतु चिन्हित स्थल के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.03.2026 के माध्यम से किये गये अनुरोध के कम में फर्म को विश्वविद्यालय के गेट नम्बर 4 के समीप रैन बसेरा में स्थापित दुकाने (सी0पी0डब्लू0डी0 दरों के आधार पर किराये के साथ) अमृत फार्मेसी स्थापित करने हेतु कुलसचिव के पत्र संख्या 163/इ/ यूपीयूएमएस / सीसी (2051–सीडी) /2026 –27 दिनांक 11.04.2026 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र संख्या 59/यूपीयूएम एस /एम.एम.डी.(2051 – सीडी) दिनांक 29.04.2026 द्वारा स्वीकृती प्रदान की गयी है। फर्म द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है, लाइसेंस प्राप्त होने के उपरांत अमृत फार्मेसी प्रारम्भ कर दी जायेगी।

	1.12	**चिकित्सालय के वार्ड / आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करवाते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाने के संदर्भ में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव के कम में निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया :– 1. उक्त कमानुसार प्रपत्रों को संरक्षित करने का कार्य संबंधित विभाग में कार्यरत रेजीडेंट एवं संबंधित ए0एन0एस0 द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा । 2. सहायक नर्सिग अधीक्षक / अधीक्षिका(इंचार्ज) द्वारा एम0आर0डी0 में मरीज की फाइल जमा करने से पहले एम0आर0डी0 डिस्पैच रजिस्टर में फाइल के कुल पेज का अंकन करने के उपरान्त एम0आर0डी0 में फाइल जमा करवाते हुए उक्त की प्राप्ति लेना सुनिश्चित किया जायेगा। 3. एम0आर0डी0 मरीज के डिस्चार्ज के बाद केसशीट प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रपत्र फाइल में कमानुसार एवं पेजिंग से रक्षित है अथवा नहीं अन्यथा की दशा में केसशीट फाइल पर नोट डालकर संबंधित विभाग को पूर्ण करवाने हेतु प्रेषित करेगा।	कार्यान्वित **(Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 996 / एम0एस0 / 169 / यूपीयूएमएस / 2025– 26 दिनांक 31.12.2025)
	1.13	**विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी0सी0टी0वी0 कंट्रोल रूम के साथ स्थापित**	विश्वविद्यालय परिसर में 1422 नग सी.सी.टी.वी. कंट्रोल रूम के साथ स्थापित

		कराये जाने के संबंध में। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त कार्य को directly UPDESCO के माध्यम से कराने के बजाय ओपेन टेंडर के माध्यम से कराने हेतु प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति प्रदान करते हुए कार्य परिषद की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गयी।	करये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है जिसके अन्तर्गत जेम पोर्टल पर निविदा सं0 जेम / 2026 / बी / 7407022 दिनांक 06.04.2026 को प्रकाशित हो गया है एवं सी.ए.सी. (आई.टी.) विभाग के स्तर पर तकनीकी परीक्षण प्रचलन में है।
	1.14	**विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग / टेली रिर्पोटिंग एवं USG/Doppler USG/ USG Guided Biopsy/Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति विषयक।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित 05 सदस्यीय समिति के द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करते हुए समस्त पहलुओं पर विचारोपरान्त अपना सुस्पष्ट प्रस्ताव देने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी:– 1. एस.जी.पी.जी.आई.,के.जी.एम.यू., आर.एम.एल. एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन। 2. ऑन साइट प्रति केस यू.एस.जी. एवं एम.आर.आई. / सी.टी. स्कैन प्रति केस टेली रिर्पोटिंग के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण। 3. मरीज हित में प्रतिदिन / सप्ताह में कुछ निर्धारित दिवसों में या तो 9 से 5 बजे अथवा कुछ घंटों हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु।	कार्यान्वित **(Implemented)** 1. कार्यालय आदेश संख्या 1075 / 178 / एच.बी. / एम.एस / यूपीयूएमएस / 2025– 26 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा समिति का गठन किया गया। 2. समिति द्वारा दिनांक 07.02.2026 को रेडियोलाजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गयी। 3. उक्त संस्तुतियों के क्रम में हस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में नवीन एजेण्डा बिन्दु 2.2 प्रस्तुत किया गया।

1.15	**128 slices CT Scan (PPP) का लोकार्पण** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** बोर्ड ऑफ गर्वनर की बैठक के समय ऑन लाइन जूम के माध्यम से सी0टी0 स्कैन मशीन का लोकार्पण करवाने हेतु हस्पिटल बोर्ड द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।	उक्त कार्यसूची बिंदु को सक्षम स्तर पर विचारोपरांत स्थगित/निरस्त कर दिया गया है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही संपादित नहीं की गई है।
1.16	**विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से प्राप्त अन्य विविध प्रकरण।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा 13 विभागों द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किया गया :– 1. एक Internal Development Committee गठित करके विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्सन की आवश्यक्ताओं हेतु मांग प्राप्त की जाए, उक्त मांगों का सर्वेक्षण करा लिया जाए एवं तत्पश्चात समस्त कार्यो हेतु टेंडर किया जाए । 2. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक के द्वारा ओटी में मॉडीफिकेशन हेतु दिए गए बिंदु पर विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त करते हुए उक्त प्रस्ताव को कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाए । 3. विभागों द्वारा ऐसे प्रोसिजर जिनके हेतु प्रथम बार शुल्क निर्धारित किया जाना उक्त हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त करते हुए एल–1 दर को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए,	हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिंदु 1.16 में बिंदु संख्या 01 से 04 पर लिए गए निर्णय के संबंध में अनुपालन आख्या निम्नलिखित है :– 1. Implemented 2. आर्थो विभाग की ओ0टी0 में माडीफिकेशन हेतु नवीन एजेण्डा हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में एजेण्डा 2.22 पर प्रस्तुत किया जा चुका है। 3. Implemented 4. Human Milk Bank की स्थापना हेतु स्थान का चयन कर प्रस्ताव हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक के एजेण्डा 2.4 पर प्रस्तुत किया गया।

		एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त न होने की दशा में एम्स दिल्ली से दर प्राप्त किए जाए एवं एम्स दिल्ली से उक्त प्रोसीजर हेतु दर प्राप्त न होने की दशा में सी0जी0एच0एस0 में उक्त प्रोसीजर हेतु निर्धारित दरों को लिया जाए । 4. विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक विभाग Human Milk Bank की स्थापना हेतु उसी बिल्डिंग के किसी भी तल पर उपयुक्त स्थान चिन्हित करके विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	
		टेबल एजेण्डा	
	1.17	**विश्वविद्यालय के चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग तथा तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों की ए0पी0ए0आर0 में प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी का निर्धारण।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यकविचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण के समुचित निवारण हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाये, जो कि प्रकरण के समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिर्पोट हॉस्पिटल बोर्ड की अगली बैठक में संस्तुति हेतु प्रस्तुत करे।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कुलसचिव कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश संख्या 430 / यूपीयूएमएस / अधि–8(मानव संपदा–271) / 2026–27 दिनांक 24.04.2026 द्वारा विश्वविद्यालय के कार्मिकों हेतु निर्धारित वर्क–फ्लो के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त नर्सिंग संवर्ग हेतु संशोधित कार्यालय आदेश संख्या 510 / यूपीयूएमएस / अधि–8 (मानव संपदा–271) / 2026–27 दिनांक 27.04.2026 निर्गत किया गया।)
	1.18	**पैरामेडिकल महाविद्यालय में आवश्यकता अनुसार दुकानों को खोला जाना।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यकविचारोपरांत पूर्व से निर्मित दुकानों को संचालित	अनुबन्ध प्रकोष्ठ के स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है।

		किये जाने हेतु निविदा/ Auction के माध्यम से फर्मो का चयन करने हेतु संस्तुति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक ही प्रकार की दो दुकानें न हो जिससे अधिक से अधिक प्रकार की दुकानों को खोला जा सके। संकायाध्यक्ष पैरामेडिकल, नर्सिंग तथा फार्मेसी संयुक्त रूप से प्रकरण पर विचार–विमर्श करते हुए आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।	
	1.19	**दन्त चिकित्सा संकाय हेतु स्थल चिन्हित किये जाने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर सम्यकविचारोपरांत निर्णय लिया कि एक समिति जिसमें संकायाध्यक्ष दन्त चिकित्सा संकाय, विभागाध्यक्ष पेरियोडेन्टोलॉजी, अधिशासी अभियन्ता तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से पैरामेडिकल महाविद्यालय परिसर में खाली स्थलों का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करते हुए दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु समस्त बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट 15 दिवसों में प्रस्तुत करें। जिसे आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।	कार्यान्वित **(Implemented)** (कार्य परिषद की 14वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु 14.8 पर उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया)
	1.20	**विश्वविद्यालय के नवनियुक्त गैर शैक्षणिक कार्मिको को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :–** हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कार्यपरिषद की बैठक में रखने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।	कार्यान्वित **(Implemented)** (कुलसचिव कार्यालय द्वारा आदेश संख्या 4749/ यूपीयूएमएस/ अधि–5 (2604 – सीडी) /2025–26 दिनांक 03.01.2026 निर्गत)

	1.21	**विश्वविद्यालय की Sleep Lab का नाम बदलकर Sleep Disorders Centrer करने एवं Sleep Disorder** की **SOP निर्धारित करने** हेतु। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः–** उक्त एजेण्डा बिंदु के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नवत है, जिस पर हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी– 1. Sleep Disorders Center को ट्रामा एवं इमरजेंसी से स्थानांतरित कर सुपरस्पेशलिटी भवन में उपयुक्त क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाय। 2. Sleep Disorders Center चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा, तथा अन्य योगदान देने वाले विभागों के नामित प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगें। 3. Sleep Disorders Center के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु एस0ओ0पी0 एम्स न्यू दिल्ली में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार बनाई गयी है। उक्त बैठक के उपरान्त सम्बन्धित सभी विभागाध्यक्षों एवं सम्बन्धित फैकल्टी के साथ आयोजित बैठकों में किए गये विचार–विमर्श के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी– A. विश्वविद्यालय में स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर जब तक चयन नहीं हो जाता है तब तक 06 नर्सिग ऑफीसर की तैनाती Sleep Disorders Center में शिफ्ट ड्यूटी में किया जाय जिन्हें	कार्यान्वित **(Implemented)** (Sleep Disorders Center के सुपरस्पेशियालिटी भवन में शिफ्ट होने के पश्चात आवश्यक मानव संशाधन की ड्यूटी लगायी जायेगी।)

		Sleep Disorders Center के कार्यो को सुगमतापूर्वक संचालन हेतु योगदान देने वाले विभागों के नामित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। B. विश्वविद्यालय में संचालित Sleep Lab का नाम बदलकर Sleep Disorders Center किये जाने पर भी सहमति बनी।	

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः –

1. हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक में लिए गये निर्णयों के कम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या के एजेण्डा बिन्दु संख्या 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 एवं 1.12 के अतिरिक्त अन्य सभी एजेण्डा बिन्दुओं की अनुपालन आख्या पर हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 पर निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

एजेण्डा बिन्दु	हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में दिये गये निर्देश
एजेण्डा बिन्दु–1.5 **विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने विषयक।**	एजेण्डा बिन्दु–1.5 में प्रस्तुत अनुपालन आख्या के कम में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. विश्वविद्यालय के रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक हेल्थ–बुक को प्राथमिकता के आधार पर प्रिन्ट करवाते हुए रेजिडेन्ट / छात्रों को तत्काल उपलब्ध कराया जाये। 2. रेजीडेन्ट डाक्टर्स एवं यू0जी0 स्टूडेन्ट्स को समय–समय पर प्रस्तावित सभी जॉचे जैसे ब्लड टेस्ट / सी.टी. / एम.आर.आई. इत्यादि हेल्थ–बुक में प्रविष्टि के बाद ही जीरो बिलिंग(निःशुल्क) हेतु मान्य होगी।
एजेण्डा बिन्दु–1.8 **नर्सिंग संवर्ग के पदधारक–नर्सिंग आफीसर, सीनियर नर्सिंग आफीसर, असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, डिप्टी नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरीटेन्डेन्ट, चीफ नर्सिंग आफीसर के निर्धारित कार्य दायित्व निर्धारित / परिभाषित किये जाने हेतु।**	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में समिति(मुख्य नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग यूनियन, चिकित्सालय एवं प्रशासन से नामित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए) का गठन तत्काल कराया जाये तथा समिति सदस्यों द्वारा एम्स, एस.जी.पी.जी.आई., के.जी.एम.यू. एवं आर.एम.एल. में नर्सिंग कैडर के कार्य एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विद्यमान गाईडलाईन्स को आधार बनाते हुए एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
एजेण्डा बिन्दु– 1.9 **विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त टेक्नीशियन संवर्ग के कार्य निर्धारित करने विषयक।**	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के कम में समिति (समस्त स्टेकहोल्डर विभागों से सम्बन्धित चिकित्सक, प्रशासनिक एवं वित्त विभाग से सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रत्येक टेक्नीशियन संवर्ग से सम्बन्धित एक कार्मिक) का गठन तत्काल कराया जाये तथा समिति का सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
एजेण्डा बिन्दु– 1.10 **मेडिकल सोशल सर्विस आफीसर के संवर्ग की स्थानान्तरण पॉलिसी के**	• हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय (हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा समस्त नॉन फैकल्टी कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु भविष्य के लिए पॉलिसी

निर्धारण हेतु।	निर्धारित करने हेतु UP Govt Transfer Policy Manual को आधार बनाते हुए uniform policy गठित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया) के कम में समिति गठित करते हुए तत्काल कार्यवाही की जाए। • हॉस्टिल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि हॉस्पिटल बोर्ड की बैठकों की ससमय अनुपालन आख्या सुनिश्चित करने हेतु उप–चिकित्सा अधीक्षक (चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय) को नामित किया जाये।
<u>एजेण्डा बिन्दु– 1.12</u> **चिकित्सालय के वार्ड/आईसीयू में भर्ती मरीजों के डिस्चार्ज के बाद मरीजों की Case Sheet File में प्रपत्रों को क्रमानुसार संरक्षित एवं प्रमाणित करवाते हुए चिकित्सा अभिलेख विभाग में जमा करवाने के संदर्भ में।**	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. एम.आर.डी. के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित कराने एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी, एम.आर.डी. नामित किया जाये। 2. एम.आर.डी. में रक्षित अनुपयोगी/अप्रचलित सामग्रियों/प्रपत्रों/अभिलेखों का निष्पादन (Condemnation) किये जाने की कार्यवाही कार्यालय आदेश संख्या 03/ यूपीयूएमएस/ कुल0कार्या0 (3041–सीडी)/ 2026–27 दिनांक 20.04.2026 द्वारा गठित समिति के माध्यम से कराते हुए अनुपालन आख्या आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाये।

<u>एजेण्डा बिन्दु:– 3.3</u> **हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या**	उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 की अनुपालन आख्या निम्नवत है–

एजेण्डा बिन्दु	निर्णय का सारांश	अनुपालन आख्या
2.2	**विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/ टेली रिपोर्टिंग एवं USG/ Doppler USG/ USG Guided Biopsy/ Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति हेतु।** <u>**हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय**</u> :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा बिंदु संख्या 01 से 07 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियॉ करते हुए उक्त एजेंडा बिंदु को कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयी :– 1. मरीज हित में विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजिस्ट की	1. पत्रांक 124/सीएमएस (178 एच.बी.) /यूपीयूएमएस / 2026 –27 दिनांक 19 मई, 2026 के द्वारा प्रभारी अधिकारी चयन प्रकोष्ठ से रेडियोलॉजिस्ट (असिस्टेन्ट प्रोफेसर– संविदा) के पद पर निर्धारित शर्तों के अनुसार नियुक्ति हेतु वाक इन इन्टरव्यूह की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया। 2. प्रभारी अधिकारी, चयन प्रकोष्ठ द्वारा अपने पत्रांक 31/ यूपीयूएमएस / चयन प्रकोष्ठ (3077– सीडी)/ 2026– 27 दिनांक 04 जून, 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में गठित बैठक के जारी कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 07 में निर्देशित किया गया है कि 'चयन प्रकोष्ठ द्वारा सिर्फ नियमित

		आवश्यकता को देखते हुए वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) को नियत वेतन रू0 1,20,000/- की धनराशि प्रदान की जाएगी। उक्त वेतन के अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिदिन चिकित्सालय में आने- जाने हेतु conveyance incentive रूप में रू0 1000/- धनराशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। 2. यदि उक्तानुसार संविदा पर फुल टाईम (08 घंटे) रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाये तो अल्ट्रासाउण्ड/ एक्सरे/ सी0टी0 स्कैन के रिपोर्टिंग हेतु रेडियोलॉजिस्ट की पार्ट टाईम सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसमें 04 घंटे की सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराने पर रू 5000/- (inclusive of conveyance incentive) मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। 3. आकस्मिक परिस्थितियॉ जैसे लाइफ सेविंग एवं लिम्ब सेविंग की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट को बुलाए जाने पर रेडियोलॉजिस्ट को प्रति विजिट-प्रति USG रू0 500 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। 4. बिंदु संख्या 01 एवं 02 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्त न होने की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एक्सरे/सी0टी0 स्कैन	नियुक्तियों के कार्य सम्पादित किये जाएंगे' अतः उपर्युक्त से अवगत होते हुए उक्त प्रकरण में नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। 3. प्रभारी अधिकारी, चयन प्रकोष्ठ के उक्त पत्र दिनांक 04.06.2026 के कम में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी, अनुबंध प्रकोष्ठ को पत्रांकः 181/ चि.अधी. का./178 (एच.बी)/ यूपीयूएमएस / 2026-27 दिनांक 06 जून, 2026 प्रेषित किया गया है। 4. प्रभारी अनुबन्ध प्रकोष्ठ ने अपनी टिप्पणी दिनांक 09.06.26, जोकि चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में दिनांक 15.06.2026 को प्राप्त हुई, में उल्लिखित है कि "जेम पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था नहीं है" तथा साथ मूलरूप में वापस किया गया है। **5. मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त पत्रांक सं. 672/यूपीयूएमएस/ चयन प्रकोष्ठ (3209 -सीडी/ 2026-27 दिनांक 06.05.2026 द्वारा कुलसचिव महोदय द्वारा जारी किया गया। कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-9 पर लिए गये निर्णय के कम में नॉन पी.जी. जे.आर. एवं नान पी.जी. एस.आर.. की समस्त भर्ती प्रकिया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय द्वारा सम्पादित की जा रही है। इस हेतु कार्यालय आदेश संख्या 1165/ यूपीयूएमएस/अधि.2/ 721-सीडी (पार्ट-2) /2026-27 दिनांक 12.06.2026 द्वारा समिति भी गठित की गयी है।** **एस.आर./जे.आर. की भॉति ही रेडियोलॉजिस्ट असिस्टेंट**

		की रिपोर्टिंग टेली रिपोर्टिंग के माध्यम से भी की जा सकती है, जिसके लिए प्रति रिर्पोटिंग एम.आर.आई. / सी0टी0 स्कैन हेतु रू0 300 एवं एक्सरे हेतु रू0 50 की दर से भुगतान किया जाएगा। 5. किसी भी Treating Consultant द्वारा परामर्श के उपरान्त आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड करवाने हेतु सीधे रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जा सकता है। साथ ही M.O. द्वारा भी स्क्रीनिंग अल्ट्रसाउण्ड करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया जा सकता है। 6. प्रतिदिन रेडियोलाजिस्ट द्वारा किए गये अल्ट्रासाउण्ड की लॉगबुक का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा रख-रखाव किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापन के उपरान्त चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भुगतान हेतु वित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। 7. संलग्नक लिस्ट में बिन्दु संख्या-01 पर वर्णित स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउण्ड पूर्व की भॉति विश्वविद्यालय में M.O. द्वारा किये जाते रहेंगे तथा बिन्दु संख्या-05 से 23 पर वर्णित अल्ट्रासाउण्ड रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किये जायेंगे।	**प्रोफेसर (संविदा) पर नियुक्ति हेतु समस्त कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से की जायेगी।**
	2.3	**विश्वविद्यालय की विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी टेक्नीशियन**	हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में **बिन्दु संख्या-01 से 05** पर लिए गये निर्णयों के कम में गठित समिति के अध्यक्ष

		को संबंद्ध करने हेतु। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.3 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निर्देशित किया गया कि विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी की अध्यक्षता में गठित समिति में उप–चिकित्सा अधीक्षक आई.पी.डी. उप–चिकित्सा अधीक्षक ओ.पी.डी., विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक, विभागाध्यक्ष बीआरआईटी एवं मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित बिंदु संख्या 01 से 04 एवं 06 पर विस्तृत आख्या आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयीः– 1. वर्तमान नियमों एवं गाइडलाइन के अनुसार C-Arm मशीन के संचालन का कार्य चिकित्सालय के विभिन्न ओटी में किन–किन टेक्नीशियन के द्वारा किया जा सकता है। 2. चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन का उपयोग सप्ताह में कितनी बार किया जाता है। 3. विश्वविद्यालय में कार्यरत रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की कुल संख्या और उनकी वर्तमान तैनाती के दृष्टिगत उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यो की ऑडिट आख्या। 4. रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की वर्तमान तैनाती के दृष्टिगत क्या	द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 148 / यूपीयूएमएस / संकायाध्यक्ष (चि.)–88 / 2026– 27 दिनांक 05.06.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जोकि निम्नवत है– 1. C-Arm मशीन के संचालन का कार्य रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, ओ.टी. टेक्नीशियन द्वारा किया जा सकता है। 2. चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। 3. कुल वर्कस्टेशन– 14, कुल टेक्नीशियन– 42 4. O.T. में रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन को तैनात करने हेतु निर्णय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से लिया जा सकता है। 5. बीआरआईटी के विद्यार्थियों की पोस्टिंग C-Arm मशीन के (NCAHP according) संचालन में प्रशिक्षण के लिए रोस्टर बनाकर लगाई जा सकती है। उक्त बिन्दु–5 के कम में संकायाध्यक्ष Faculty of Allied and Health Care Sciences को पत्र संख्या 214 / एम.एस. / (169–2एच.बी.) / यूपीयूएमएस / 2026 –27 दिनांक 17.06.2026 प्रेषित करते हुए रोस्टर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। **बिंदु संख्या–06** के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही निम्नवत है– 1. प्रभारी अनुबंध प्रकोष्ठ को पत्र संख्या 182 / चि.अधी. का. / 169–2 (एच.बी) / यूपीयूएमएस / 2026–27 दिनांक 05 जून, 2026 प्रेषित किया गया है। 2. प्रभारी अनुबन्ध प्रकोष्ठ ने अपनी टिप्पणी दिनांक 13.06.26 के साथ मूलरूप में वापस किया गया है।

		बिंदु संख्या 02 में दी गयी ओटी में उनकी तैनाती की जा सकती है अथवा नहीं। 5. पैरामेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत बीआरआईटी के विद्यार्थियों को C-Arm मशीन के संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एवं आर्थोपेडिक विभाग की ओटी में C-Arm मशीन के संचालन हेतु पोस्टिंग की जा सकती है या नहीं। 6. प्रशासन एवं चयन प्रकोष्ठ के द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय में टेक्नीशियन के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर संविदा पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।	3. उक्त के पश्चात प्रभारी चयन प्रकोष्ठ को पुनः पत्र संख्या 213/एम.एस./(169-2 एच.बी.)/यूपीयूएमएस/ 2026-27 दिनांक 17.06.2026 प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय में टेक्नीशियन के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या एवं रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की नियुक्ति के सम्बध में आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
	2.4	**बाल रोग विभाग के अन्तर्गत Human Milk Bank की स्थापना हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब के स्थान का Human Milk Bank की स्थापना हेतु प्रयोग किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा सहमति प्रकट की गयी। विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग से प्राप्त सहमति के कम में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि न्यू ओ0पी0डी0 के पंचम तल पर न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब में	Human Milk Bank की स्थापना से सम्बन्धित कार्यवाही जारी है, जिसका उद्घाटन माह जुलाई, 2026 में प्रस्तावित है।

		स्थापित मशीन जो वर्तमान में कियाशील नहीं है को तत्काल उक्त स्थान से हटवाना सुनिश्चित किया जाए। विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा रिहैबिलिटेशन लैब से मशीन के हटने के पश्चात उक्त मशीन के कन्डमनेशन हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग के द्वारा न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब के खाली स्थान पर Human Milk Bank की स्थापना हेतु कार्यवाही की जाएगी।	
	2.5	**Internal Development Committee गठित करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन के कार्य करवाए जाने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के कार्यों को गैर वेतन मद से किए जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए अधिशासी अभियंता निम्नवत निर्देश प्रदान किए गए :– 1.पत्रांक 1077/एमएस/179/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 05 फरवरी के माध्यम से मांगी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव 07 कार्यदिवस में चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। 2.विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में मॉडिफि–	अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 260/ यूपीयूएमएस/अभि./2026 –27 दिनांक 17.06.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि हस्पिटल बोर्ड के निर्णय के बिन्दु–2 के सन्दर्भ में प्रस्तावित कार्यों का आगणन गठित कर लिया गया है तथा कार्य विश्वविद्यालय स्तर से कराये जाने हेतु कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित है।

		केशन / अतिरिक्त कन्सट्रक्शन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों में प्रत्येक बिल्डिंग के निर्धारित फ्लोर पर माह फरवरी में Internal Development Committee के द्वारा चिन्हित स्थलों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं फार्मेसी काउंटर के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए उक्त कार्य को करवाए जाने हेतु अनुमानित लागत का विवरण तैयार कर 07 दिवसों में प्रेषित किया जाए। 3.अनुमानित लागत से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात उक्त कार्य को ओपेन टेंडर / अन्य किसी माध्यम से किए जाने हेतु निर्णय लिया जाएगा।	
	2.6	**विश्वविद्यालय की ओपीडी में प्रतिदिन चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों, वरिष्ठ नागरिक एवं स्टाफ हेतु ओपीडी पर्चो का अलग–अलग कलर निर्धारित करने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.6 पर प्रस्तुत प्रस्ताव की संस्तुति की गयी। • स्टाफ / आश्रित – नीला रंग (Blue) • वरीष्ठ नागरिक – गुलाबी (Pink) • मरीज – सफेद (White)	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 110 / चि.अधि.का. / 169–2 (एच.बी.–2) / यूपीयूएमएस / 2026– 27 दिनांक 19.05. 2026)
	2.7	**विश्वविद्यालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, वार्ड एवं विभिन्न कार्यालयों में वितरित किए गए मोबाईल फोन एवं सीयूजी सिम के संबंध में Inter**	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 197 / चि.अधि.का. / 169–2 (एच.बी. –2) / यूपीयूएमएस / 2026–

		Department Reference पॉलिसी निर्धारित करने के संबंध में। **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति देते हुए निर्देशित किया गया कि Inter Department Reference को चिकित्सालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, एवं वार्ड के संबंधित इन्चार्ज / शिफ्ट ड्यूटी सीनियर मोस्ट नर्सिंग स्टाफ के द्वारा फार्म पर भरकर (हार्डकॉपी) एवं फोटो खींचकर (साफ्ट कॉपी) संबंधित विभाग में एवं उक्त विभाग के सीयूजी नम्बर पर भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त Reference का दिनांक एवं समय दोनों विभाग के रजिस्टर में मेनटेन किया जाएगा।	27 दिनांक 10.06.2026)
	2.8	**विश्वविद्यालय में स्थापित इमरजेन्सी लैब का नामकरण पैथोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष स्व0 डॉ0 पिंकी पाण्डेय के नाम से किये जाने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित इमरजेन्सी लैब का नामकरण पैथोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष "डॉ0 पिंकी पाण्डेय इमरजेन्सी स्टेट लैब" के नाम से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।	इमरजेन्सी स्टेट लैब का नामकरण "डॉ0 पिंकी पाण्डेय इमरजेन्सी स्टेट लैब" के नाम से किये जाने की कार्यवाही जारी है, जिसका अनावरण दिनांक 07 जुलाई, 2026 को प्रस्तावित है।
	2.9	**दंत विभाग में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय**	**कार्यान्वित (Implemented)** (समिति द्वारा एस0ओ0पी0 तैयार करते हुए पत्र संख्या 218 / चि.अधि.का. / 169–2 एच.बी. / यूपीयूएमएस / 2026

		:– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में आब्जरवशिप प्रोग्राम सभी विभागों में लागू करने हेतु एक समान पॉलिसी बनाने के लिए संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय की अध्यक्षता में समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार– नामित सदस्य एवं वित्त अधिकारी–नामित सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की जाए। समिति द्वारा तैयार एसओपी को विद्या परिषद की आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।	–27 दिनांक 18.06.2026 उपलब्ध करायी गयी है। उक्त एस0ओ0पी0 को हास्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में नवीन एजेण्डा बिन्दु 3.12 पर पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
	2.10	**ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण कार्य का प्रस्ताव।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.10 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निर्देषित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में एनएचएम के द्वारा अलीगढ में स्थापित आउटसोर्सिंग एजेन्सी से Nucleic Acid Testing (NAT) की जॉच कराई जा रही है। अतः संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन) द्वारा संबंधित फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय में उक्त जॉच को किए जाने के संबंध में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर आवश्यक्तानुसार एनएचएम आउटसोर्सिंग एजेन्सी से पुनः रिप्रजेन्टेशन प्राप्त करते हुए 07 कार्यदिवस में Nucleic Acid Testing	संयुक्त निदेशक सामग्री प्रबंधन द्वारा अपने पत्र संख्या 200/यूपीयूएमएस/ एम.एम. डी./2026–27 दिनांक 08.06. 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी मेसर्स Hemogenoumics Pvt. Ltd. बैंगलुरू से पुनः प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। किन्तु वर्तमान अवधि तक मेसर्स Hemogenoumics Pvt. Ltd. से प्रस्ताव अप्राप्त है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को हास्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में नवीन एजेण्डा बिन्दु 3.8 में निर्णयार्थ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

		(NAT) हेतु विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं एजेण्डा बिंदु 2.10 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को अंतिम निर्णय होने तक होल्ड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।	
	2.11	**स्कालरशिप हेतु नामित विद्यार्थियों / यू0जी0 विद्यार्थी एवं जे0आर0 हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता पर निर्णयार्थ।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रकरण में निम्नलिखित संस्तुतियाँ प्रदान की गयी। 1. स्कालरशिप से संबंधित समस्त प्रकरण निर्णय हेतु विद्या परिषद की बैठक में ही प्रस्तुत किए जाए। 2. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक (नियमित / आउटसोर्सिंग) की बायोमेट्रिक उपस्थिति को सीएसी विभाग के द्वारा प्रतिमाह संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रतिमाह बायोमेट्रिक उपस्थिति को मैनुअल उपस्थिति से मिलान करते हुए प्रमाणित किया जाएगाा एवं 24 घंटे के अंदर वेतन निर्गत करने हेतु वित्त विभााग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 3. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त पी0जी0जे0आर0 / नॉनपी0जी0जे0आर0(बॉड) / एस0आर0 / एस0आर	**कार्यान्वित (Implemented)** (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र संख्या 195 / यूपीयूएमएस / सी.एम.एस. (23) / 2026– 27 दिनांक 08.06.2026 के अनुसार समिति द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 पर मा0 कुलपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रभारी, सी0ए0सी0 को अग्रसारित की गयी है।)

		0 (बॉड) जिनका AEBAS पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है किंतु क्लीनीकल पोस्टिंग को कारण यदि किसी वजह से उनके द्वारा इन/आउट पंचिग नहीं की जा रही है तो प्रतिदिन ड्यूटी करते समय किसी एक समय पर पंचिग किया जााना सुनिश्चित करें एवं ऐसे पी0जी0जे0आर0/ नॉन पी0जी0जे0आर0 (बॉड)/ एस0आर0/ एस0आर0 (बॉड) जिनका AEBAS पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रभारी सीएसी उक्त रजिस्ट्रेशन को अविलम्ब करवाना सुनिश्चित करें। 4. समस्त पी0जी0जे0आर0/ नॉन पी0जी0जे0आर0 (बॉड)/ एस0आर0 /एस0आर0 (बॉड) जिन्होंने क्लीनिकल पोस्टिंग के समय ड्यूटी के कारण इन/आउट पंच की जगह सिंगल पंचिग की है, को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा इनकी मैनुअल उपस्थिति/पोस्टिंग के आधार पर वेतन निर्गत करने हेतु प्रमाणित किया जाएगा। 5. बिंदु संख्या 02 एवं 03 में दी गयी व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रभारी सीएसी एवं वित्त, प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक (नियमित/आउटसोर्सिंग) एवं समस्त पी.जी.जे.	

		आर./ नॉन पी.जी.जे. आर. (बॉड)/ एस.आर. /एस.आर. (बॉड) को बायोमेट्रिक मशीन/ AEBAS में रजिस्टर करवाने हेतु अपना प्रस्ताव 01 माह में प्रस्तुत करेगी।	
	2.12	**ओपीडी में दवाईयों का वितरण 05 दिन के स्थान पर 07 दिवस हेतु किए जाने के संबंध में ।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.12 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की गयी :– 1.मरीज को ओपीडी पर्चे पर एंटीबायोटिक दवा अधिकतम 05 दिवस हेतु (चिकित्सक के विवेकानुसार) और अन्य दवाईयॉ 07 दिवस हेतु फार्मेसी काउंटर के द्वारा प्रदान की जाएंगी। 2.दीर्घकालीन ईलाज एवं असाध्य रोग हेतु मरीज को उनकी फोलोअप बुकलेट पर 15 दिन के स्थाान पर 30 दिन हेतु दवाईयॉ फार्मेसी काउंटर के द्वारा प्रदान की जाएंगी।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 130/चि.अधि.का./169–2 (एच.बी.–2)/यूपीयूएमएस/ 2026– 27 दिनांक 22.05. 2026)
	2.13	**चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से जॉचे निःशुल्क प्रदान करने हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से जॉचे निःशुल्क किए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।	**कार्यान्वित (Implemented)**

	2.14	**विश्वविद्यालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में मैमोग्राफी जॉच हेतु निर्धारित शुल्क को स्वीकृति प्रदान करने हेतु।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा मरीजों को मैमोग्राफी जॉच की सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित जॉच शुल्क को संस्तुति प्रदान की गयी।	कार्यान्वित **(Implemented)**
	2.15	**विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान की गयी।	कार्यान्वित **(Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 115 / चि.अधि.का. / 169–2 (एच.बी.–2) / यूपीयूएमएस / 2026– 27 दिनांक 19.05. 2026)
	2.16	**मेडिसिन वार्ड के मेल एवं फिमेल वार्ड के बेड पर मरीजों की संख्या उपलब्ध बेड से अधिक होने पर निर्णयार्थ।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.16 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित संस्तुति दी गयी :– 1. किसी भी दशा में विभाग के द्वारा पुरूष मरीज को महिला मरीज के बेड पर एवं महिला मरीज को पुरूष मरीज के बेड पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। 2. विभाग में मरीज की संख्या अधिक होने पर एवं बेड की अनुपलब्धता की स्थिति में महिला / पुरूष मरीज को किसी अन्य विभाग के महिला / पुरूष बेड पर ही स्थानान्तरित	कार्यान्वित **(Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 116 / चि.अधि.का. / 169–2 (एच.बी.–2) / यूपीयूएमएस / 2026– 27 दिनांक 19.05. 2026)

		किया जाएगा। 3. चिकित्सालय के विभिन्न वार्ड में भर्ती उपचाररत मरीज को ठीक होने के उपरांत तत्काल डिस्चार्ज किया जाए, जिससे नवीन भर्ती मरीज हेतु बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 4. बिंदु संख्या 01 से 03 पर पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष / संबंधित चिकित्सक की सुनिश्चित होगी।	
	2.17	**विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी विभाग के द्वारा सुपर स्पेशिलिटी ओटी की सेवाएँ शुरू करने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :— भविष्य में जब सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में आईपीडी की सेवाएँ शुरू की जाएंगी तब विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी को सुपर स्पेशलिटी की ओटी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।	हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
	2.18	**ओल्ड ओपीडी के सीवीटीएस आईसीयू एवं कार्डियोलॉजी आईसीयू के बाहर कॉमन वॉशरूम को महिला रोगी एवं पुरूष रोगी के प्रयोगार्थ के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :— हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.18 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नवत निर्देषित किया गया :— प्रत्येक परिस्थिति में चिकित्सालय में भर्ती एवं आने वाले महिला / पुरूष मरीजों का वॉशरूम, महिला / पुरूष मरीज की	हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में समिति द्वारा अपनी आख्या 13 / डी.एम.एस.(आई.पी.डी.) / यू.पी.यू.एम.एस. / 2026—27 दिनांक 10.06.2026 उपलब्ध करायी जा चुकी है। समिति की आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

		निजता / सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग होना चाहिए। उप–चिकित्सा अधीक्षक आईपीडी, उप– चिकित्सा अधीक्षक ओपीडी, उप–चिकित्सा अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल के द्वारा चिकित्सालय के प्रत्येक फ्लोर पर स्थित वार्ड की वार्ड इन्चार्ज एवं विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए महिला एवं पुरूष रोगियों हेतु उपलब्ध वॉशरूम का भ्रमण किया जाएगा। उक्त भ्रमण के पष्चात 15 दिन के अंदर चिकित्सालय के प्रत्येक फ्लोर पर महिला एवं पुरूष रोगियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध वॉशरूम को अलग–अलग चिन्हित करने अथवा पार्टीशन करते हुए उन्हें अलग–अलग किए जाने, एवं साथ ही Diabled Friendly Toilet का प्राविधान किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।	
	2.19	**चिकित्सालय में मरीज के तीमारदार (अधिकतम 02) को किफायती दर रू0 20 / – में पेशेन्ट किचिन से भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।** **हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा चिकित्सालय में मरीज के तीमारदार को किफायती दर में पेशेन्ट किचिन से भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।	**कार्यान्वित (Implemented)** (कार्यालय आदेश संख्या 118 / चि.अधि.का. / 169–2(एच. बी.–2) / यूपीयूएमएस / 2026–27 दिनांक 19.05.2026)

	2.20	**मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा आगामी बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रभारी सेन्ट्रल लैब द्वारा 10 दिवसों में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:– 1. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा किए जा रहे पीसीटी प्रति टेस्ट का मूल्य (रू.679/–) एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा किए जा रहे पीसीटी टेस्ट का तुलनात्मक विवरण। 2. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा पीसीटी टेस्ट हेतु उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/ Reagent का मूल्य एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/Reagent के मूल्य का विवरण।	हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों के कम में अनुपालन आख्या प्रभारी, सेन्ट्रल बायोकेमिस्ट्री लैब द्वारा अपने पत्र संख्या 797/ सीबीएल/ यूपीयू एमएस / 2026–27 दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। प्रभारी सेन्ट्रल बायोकमेस्ट्री लैब की आख्या के कम में एजेण्डा बिन्दु 2.20 को निर्णय हेतु हास्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में नवीन एजेण्डा बिन्दु 3.11 पर पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।
	2.21	**प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विभागीय बिंदु पर निर्णयार्थ।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.21 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की गयी :– 1. प्राइवेट वार्ड के एक हॉल में PMU (Palliative Medicine Unit)	**कार्यान्वित (Implemented)**

		स्थापित हो जाने के कारण उक्त हॉल को प्रस्तावित प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। 2. बिंदु संख्या 02 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सुपर स्पेशलिटी की आईपीडी शुरू होने की प्रत्याशा में होल्ड पर रखा जाए। 3. सुपरस्पेशलिटी विभागों में द्वितीय एवं तृतीय साल के पी0जी0(जे0आर0) की रोटेशनल पोस्टिंग लगाई जाए। 4. प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष द्वारा एनएमसी के मानकीकरण के आधार पर एस0आर0 हेतु सृजित पदों पर भर्ती हेतु प्रभारी चयन प्रकोष्ठ से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए।	
	2.22	**अस्थि रोग विभाग के ओ0टी0 के दो कक्षों को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।** **<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u>** :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.22 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित संस्तुतियॉ की गयी :– 1. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक अस्थि रोग विभाग की ओ0टी0 02 एवं 03 को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने हेतु स्कोप ऑफ वर्क सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार	हास्पिटल बोर्ड के निर्णय के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत है– 1. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक द्वारा अपने पत्र संख्या 379/यूपीयूएमएस/आर्थो/ 2026–27 दिनांक 05.06.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त से संबंधित समस्त अभिलेख अधिशासी अभियंता को प्राप्त करा दिए गए हैं। 2. उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या 260/ यूपीयूएमएस/अभि0/ 2026–27 दिनांक 17.06. 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त

		करते हुए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। 2. अधिशासी अभियंता विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थि रोग विभाग की ओ0टी0 02 एवं 03 को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने हेतु आगणन प्रस्तुत करें।	कार्य का प्लिन्थ एरिया रेट के आधार पर धनराशि आगणित कर ली गयी है तथा कार्य विश्वविद्यालय स्तर से कराये जाने हेतु कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः –

1. हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या के एजेण्डा बिन्दु संख्या 2.2 एवं 2.3 के अतिरिक्त अन्य सभी एजेण्डा बिन्दुओं की अनुपालन आख्या को हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या 2.2 एवं 2.3 पर निम्नानुसार निर्देश दिये गये–

एजेण्डा बिन्दु	हॉस्पिटल बोर्ड की तृतीय बैठक में दिये गये निर्देश
एजेण्डा बिन्दु– 2.2 **विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी.टी. स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम.आर.आई. की ऑन साइट रिपोर्टिंग / टेली रिपोर्टिंग एवं USG/ Doppler USG / USG Guided Biopsy / Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति हेतु।**	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि संविदा पर रेडियोलाजिस्ट (एम.डी. / डी.एन.बी. / डी.एम.आर.डी.) की नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार विज्ञापन विज्ञापित कर चयन की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्तर से शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाये।
एजेण्डा बिन्दु– 2.3 **विश्वविद्यालय की विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को संबंद्व करने हेतु।**	हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निम्नलिखित निर्देश दिये गये– 1. बिन्दु संख्या–4 के कम में निर्देशित किया गया कि न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन एवं BRIT छात्रों के प्रशिक्षण हेतु रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन का ड्यूटी रोस्टर (जनरल ड्यूटी) विभागाध्यक्ष, रेडियोलाजी के स्तर से निर्गत किया जायेगा। न्यूरोसर्जरी ओटी में नाईट शिफ्ट हेतु रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की ड्यूटी के सम्बन्ध में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा। 2. बिन्दु संख्या–5 के कम में निर्देश दिये गये कि न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन में प्रशिक्षण हेतु BRIT छात्रों का रोस्टर दो शिफ्टों (प्रातः 08.00 से 02.00 एवं अपरान्ह 02.00 से 08.00) में 15–15 दिवस के ब्लाक में लगाया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु– 3.4 **उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई में Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) तथा AI/ML-**	**प्रस्तावनाः** – उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में रेडियोलॉजी सेवाओं के डिजिटलीकरण, डिजिटल इमेज आर्काइविंग, इंटरऑपरेबिलिटी, AI–सहायित रिपोर्टिंग तथा भविष्य में राज्यव्यापी विस्तार योग्य (Scalable) व्यवस्था विकसित करने हेतु Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

enabled Radiology Information System (RIS) की स्थापना एवं राज्य के अन्य संस्थानों हेतु Scalable Framework विकसित किए जाने के संबंध में।	**पृष्ठभूमिः–** 1. इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री/कुलाधिपति महोदय को प्रस्ताव प्रेषित किए जाने के उपरांत चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 17.02.2026 द्वारा UPUMS, सैफई में उक्त प्रणाली को विकसित कर राज्य के अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों हेतु एक Replicable एवं Scalable Model के रूप में विकसित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। 2. तदनुसार, UPUMS द्वारा दिनांक 19.02.2026 को UPDESCO से विस्तृत प्रस्ताव, प्रस्तावित प्रणाली की व्यवहार्यता, आवश्यकता मूल्यांकन, तकनीकी संरचना, कार्यप्रवाह (Workflow), System Requirement Specifications (SRS), Scope of Work तथा Request for Proposal (RFP) तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया। 3. परियोजना को राज्य स्तर पर विस्तार योग्य (Statewide Scalable) स्वरूप में विकसित किए जाने की अवधारणा के अनुरूप UPDESCO द्वारा विस्तृत तकनीकी अध्ययन, कार्यप्रवाह विश्लेषण एवं कार्यान्वयन मॉडल विकसित किया गया। **कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः –** 1. परियोजना के संबंध में UPUMS एवं UPDESCO के मध्य विभिन्न स्तरों पर अनेक तकनीकी एवं प्रशासनिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें परियोजना की तकनीकी संरचना, कार्यप्रवाह, वाणिज्यिक मॉडल, मॉड्यूलर कार्यान्वयन व्यवस्था, इंटरऑपरेबिलिटी, ABDM अनुपालन, डेटा गवर्नेंस एवं निविदा दस्तावेजों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। 2. UPDESCO द्वारा मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फील्ड सर्वे, आवश्यकता मूल्यांकन (Requirement Assessment), कार्यप्रवाह अध्ययन (Workflow Analysis), हितधारक परामर्श (Stakeholder Consultation) एवं व्यवहार्यता परीक्षण (Validation Exercise) की कार्यवाही संपन्न की गई। 3. उपर्युक्त कार्यवाहियों के आधार पर System Requirement Specifications (SRS), तकनीकी वास्तुकला (Architecture), Scope of Work, Bill of Quantities (BoQ), मॉड्यूलर कार्यान्वयन ढाँचा तथा प्रारूप Request for Proposal (RFP) तैयार एवं परिष्कृत किए गए हैं। 4. परियोजना की स्वतंत्र तकनीकी एवं नैदानिक एवं डिजिटल–स्वास्थ्य दृष्टिकोण से समीक्षा एवं सत्यापन हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर के प्रो०(डॉ०) यतेन्द्र नाथ सिंह को External Domain Expert के रूप में नामित किया गया है। 5. दिनांक 25.05.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में परियोजना को Procurement Finalisation Stage तक पहुँचने का संज्ञान लिया गया तथा निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक शेष औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। 6. उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में UPUMS द्वारा दिनांक 18.06.2026 को UPDESCO को आवश्यक Volume Data एवं Planning Assumptions उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिनका उपयोग Estimated Contract Value (ECV), Earnest Money Deposit (EMD) एवं Performance Bank Guarantee (PBG) के निर्धारण हेतु किया जा सकेगा। 7. परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में UPUMS, सैफई में X-Ray, Ultrasound (USG), CT एवं MRI मॉड्यूल के कार्यान्वयन

<table>
<tr>
<td></td>
<td>का प्रस्ताव है, जबकि अन्य मॉड्यूल एवं इमेजिंग सुविधाओं को आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार भविष्य में सक्रिय किया जा सकेगा।

<u>प्रस्तावः</u> – हास्पिटल बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं–
1. Cloud-based Vendor Neutral Archive (VNA), Picture Archiving & Communication System (PACS) एवं AI/ML-enabled Radiology Information System (RIS) परियोजना की वर्तमान प्रगति एवं अब तक की गई कार्यवाही का संज्ञान ग्रहण किया जाए।
2. UPDESCO को लागू शासनादेशों, वित्तीय नियमों, GFR- 2017, GeM एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप उक्त परियोजना हेतु Procurement Support Agency / Project Management Agency के रूप में कार्य करने तथा निविदा प्रक्रिया संपादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
3. UPDESCO के पक्ष में प्रस्तावित Letter of Intent / In-Principle Commitment जारी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।
4. उपर्युक्त परियोजना के संबंध में आवश्यकतानुसार आगामी कार्यवाही किए जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाए।</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः</u> – शासकीय निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा अब तक किये गये कार्यों को संज्ञान में लेते हुए सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि इस एजेण्डा को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किया जाये तथा उक्त प्रस्तावों पर कार्यपरिषद के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाये।</td>
</tr>
<tr>
<td><u>एजेण्डा बिन्दु 3.5</u>
विश्वविद्यालय के ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs) एवं अन्य चिन्हित गंभीर रोगी देखभाल एवं प्रक्रिया–आधारित क्षेत्रों (Critical Care/ Procedure-Based Areas) जैसे Labour Room, Cath Lab, Dialysis Unit, Burn Unit, Blood Bank, Emergency Red Zone आदि हेतु Sterile Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री (Standard Consumable) के रूप में अपनाए जाने के संबंध में।</td>
<td><u>प्रस्तावनाः</u> – विश्वविद्यालय के ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs), आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य गंभीर देखभाल क्षेत्रों में रोगी सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण तथा कार्यस्थल सुरक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री के रूप में अपनाए जाने का विषय विचारार्थ प्रस्तुत है। वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण नियंत्रण एवं रोगी सुरक्षा मानकों के अनुरूप Sterile Powder-Free Gloves का उपयोग व्यापक रूप से स्वीकार्य एवं अनुशंसित प्रथा के रूप में स्थापित है।

अपेक्षित लाभः–
• Surgical Site Infection (SSI) के जोखिम में कमी।
• रोगी सुरक्षा एवं उपचार गुणवत्ता में सुधार।
• स्वास्थ्यकर्मियों में एलर्जी एवं त्वचा संबंधी प्रतिक्रियाओं की संभावना में कमी।
• संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल के बेहतर अनुपालन में सहायता।
• संक्रमण नियंत्रण, रोगी सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुधार संबंधी संस्थागत उद्देश्यों को सुदृढ़ करना।

<u>प्रस्तावः</u> –
1. विश्वविद्यालय के सभी ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs), आपातकालीन सेवाओं तथा अन्य चिन्हित गंभीर रोगी देखभाल एवं प्रक्रिया–आधारित क्षेत्रों में Sterile Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री के रूप में अपनाया जाए।
2. Sterile Powder-Free Gloves के लिए आवश्यक तकनीकी विनिर्देश (Specifications) निर्धारित करने हेतु एक समिति गठित</td>
</tr>
</table>

	की जाए। समिति द्वारा निर्धारित Specifications के आधार पर आवश्यक वार्षिक मांग का आकलन कर प्रचलित शासकीय नियमों एवं संस्थागत खरीद प्रक्रियाओं के अनुरूप GeM Portal पर क्रय कार्यवाही की जाए। 3. क्रय किए जाने वाले Gloves की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा संक्रमण नियंत्रण संबंधी आवश्यकताओं को समिति द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों (Specifications) में समाहित किया जाएगा। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः** – हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के ऑपरेशन थियेटरों (OTs), गहन चिकित्सा इकाइयों (ICUs) एवं अन्य चिन्हित गंभीर रोगी देखभाल एवं प्रक्रिया–आधारित क्षेत्रों में Sterile Powder-Free Gloves को मानक उपयोग सामग्री (Standard Consumable) के रूप में अपनाए जाने, इसके क्रियान्वयन हेतु समिति के गठन तथा आवश्यक क्रय एवं अन्य संबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित करने हेतु निर्देशित किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 3.6 **चिकित्सालय की आवश्यक सामग्रियों के सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन हेतु 02 लोडर वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** – चिकित्सालय में रोगी सेवाओं के निरंतर विस्तार, बढ़ती कार्यगत आवश्यकताओं तथा विभिन्न वार्डों एवं विभागों में औषधियों, Consumables सामग्रियों, चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ एवं दक्ष आंतरिक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु चिकित्सालय के लिए 02 लोडर वाहन क्रय किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः** – केंद्रीय भंडार (Central Store) से स्पेशियलिटी चिकित्सालय, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालय भवनों में नियमित रूप से औषधियों, Consumable सामग्रियों, चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। संस्थान में सेवाओं एवं कार्यभार में निरंतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए सामग्री परिवहन व्यवस्था को और अधिक दक्ष, त्वरित एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। **औचित्यः** – लोडर वाहनों की उपलब्धता से विभिन्न चिकित्सालय भवनों के मध्य आवश्यक सामग्रियों का सुरक्षित एवं समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे सामग्री प्रबंधन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा संस्थान की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप लॉजिस्टिक सपोर्ट को सुदृढ़ किया जा सकेगा। **प्रस्तावः** – अतः निम्नलिखित प्रस्ताव अस्पताल बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है– 1. केंद्रीय भंडार से स्पेशियलिटी चिकित्सालय, सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय तथा अन्य भवनों तक औषधियों, Cosumable सामग्रियों, चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के परिवहन हेतु 02 लोडर वाहनों के क्रय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाए। 2. वाहनों के तकनीकी Specifications निर्धारित कर प्रचलित शासकीय नियमों एवं संस्थागत क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि

	चिकित्सालय की बढ़ती आवश्यकताओं एवं सामग्री परिवहन व्यवस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि के दृष्टिगत 02 लोडर वाहनों के क्रय हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अभियांत्रिकी विभाग के स्तर से वाहनों के तकनीकी Specifications निर्धारित कर प्रचलित शासकीय नियमों एवं संस्थागत क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही प्रचलित करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 3.7 **विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/ छात्राओं हेतु मदर डेयरी आउटलेट्स की स्थापना के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः**– विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं के लिये उच्च गुणवत्ता, ताजा एवं किफायती दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में मदर डेयरी आउटलेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव हास्पिटल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः**– अवगत कराना है कि श्री प्रदीप चौहान, मदर डेयरी द्वारा पत्र दिनांक 02.06.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज, गोरखपुर और कानपुर में स्थित तीन PCDF दूध संयंत्रों के संचालन की जिम्मेदारी मदर डेयरी को सौंपी है। ये संयंत्र अब चालू हैं और इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, मदर डेयरी, इटावा प्लान्ट मिल्क प्लांट असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह स्थानीय आबादी को ताजे और स्वच्छ डेयरी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है, और इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं का मजबूत विश्वास स्थापित कर रहा है। इटावा में मदर डेयरी की सिद्ध परिचालन उपस्थिति और स्थापित उपभोक्ता विश्वास को देखते हुए, विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को सुरक्षित, स्वच्छ और उद्योग–अग्रणी डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय परिसर के भीतर मदर डेयरी के आउटलेट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। उक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में पराग डेयरी के आउटलेट खोले जाने के संबंध में कई बार पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं। उनके द्वारा विश्वविद्यालय में पराग डेयरी के आउटलेट खोले जाने के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में निम्नलिखित स्थलों पर मदर डेयरी आउटलेट्स का प्रस्ताव है– • चिकित्सालय परिसर – 1 • मेडिकल कालेज परिसर – 1 • सुपरस्पेशियालिटी परिसर – 1 • पैरामेडिकल परिसर – 1 **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः**– विश्वविद्यालय परिसर में मरीजों, मरीजों के परिजनों, चिकित्सकों, रेजीडेन्ट्स, अन्य कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं को ताजे एवं गुणवत्तायुक्त दुग्ध एवं खाद्य उत्पाद उपलब्ध होंगे तथा छात्रों एवं कर्मचारियों को परिसर में ही सुविधा मिलने से समय एवं ऊर्जा की बचत होगी। इस हेतु मदर डेयरी के आउटलेट की स्थापना कराये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु विश्वविद्यालय एवं मदर डेयरी के मध्य एक लाइसेस एग्रीमेन्ट किया जायेगा, जिसमें संचालन की शर्ते, राजस्व/लाइसेंस शुल्क/लाभ साझेदारी (profit-sharing) एवं अन्य प्राविधान स्पष्ट रूप से अंकित होंगे। **प्रस्तावः**– विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में (चिकित्सालय, मेडिकल

	कालेज, सुपरस्पेशियालिटी, पैरामेडिकल में एक–एक) कुल 04 तथा भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य स्थलों पर मदर डेयरी आउटलेट्स की स्थापना हेतु हास्पिटल बोर्ड स्वीकृति प्रदान करना चाहें। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित करने हेतु अधिकृत किया गया।	
एजेण्डा बिन्दु 3.8 **ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण के कार्य का प्रस्ताव।**	**प्रस्तावनाः**– वर्तमान में ब्लड डोनर्स की ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing जॉच संस्थान के बाहर एनएचएम आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कराई जा रही है। ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) जॉच को विश्वविद्यालय के द्वारा ब्लड बैंक विभाग में प्रारम्भ किए जाने के संदर्भ में M/s POCT Service से प्राप्त प्रस्ताव एवं उक्त संदर्भ की गयी कार्यवाही निम्नवत हैः– **नियम / कृत कार्यवाही / निष्कर्ष / निर्णयः** – 1- M/s POCT Service द्वारा "Supply & Installation of Maintenance Free ID-NAT System" हेतु पूर्व से प्रभावी एमओयू में उक्त सर्विस को सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में JDMM कार्यालय द्वारा पत्रांक 680 /UPUMS/MM&D/24•7 /BB&NAT (2442&CD/25&26), दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त करते हुये सप्लाई ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है। 2- उक्त मशीन के इंस्टॉलेशन हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब में नवीनीकरण का कार्य होना प्रस्तावित है, जिसका व्यय भार M/s POCT Service द्वारा वहन किया जाएगा एवं विश्वविद्यालय पर उक्त कार्य हेतु कोई वित्तीय व्यय भार नहीं आएगा। 3- भविष्य में 500 बेडेड बिल्डिंग में तकनीकी कारणों के पूर्ण होने पर मशीन को वहां स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा जिसका व्यय भार M/s POCT Service द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। 4- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ब्लड सर्विसेस एवं ब्लड डिसऑर्डर कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के रक्त केंद्र में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराषि रू. 1,90,00,000/–(एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु पत्रांक 191/ई/यूपीयूएमएस/कु0का0/2025–26 दिनांक 18 फरवरी, 2026 के द्वारा एवं पुनः पत्रांक 204/बीबी/यूपीयूएमएस/26–27 दिनांक 3 जून, 2026 के द्वारा अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि विश्वद्यालय में Cobas 5800 System (Roche) आधारित ID-NAT परीक्षण सुविधा स्थापित की जा रही है, जिसके माध्यम से HIV, HBV एवं HCV का अत्यधिक संवेदनशील परीक्षण विश्वविद्यालय में ही किया जाएगा। **प्रस्तावः**– 1- कय आदेश संख्या 680 /UPUMS/MM&D/24•7 /BB&NAT (2442&CD/25&26), दिनांक 05.01.2026 के कम में M/s POCT

Service द्वारा "Supply & Installation of Maintenance Free ID-NAT System" की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना।

2- ID-NAT System" के इंस्टॉलेशन हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब में प्रस्तावित नवीनीकरण के कार्य को M/s POCT Service द्वारा विश्वविद्यालय पर बिना किसी वित्तीय व्यय भार के किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करना।

3- भविष्य में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में तकनीकी कारणों के पूर्ण होने पर ID-NAT System" को 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में बिना किसी वित्तीय भार के स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किये जाने हेतु M/s POCT Service को निर्देशित किया जाना।

4- पूर्व में In house ID NAT Individual Donor Nucleic Acid Testing (NAT) गतिविधियों के संचालन हेतु एफ.एम.आर.कोड 156.4 के अंतर्गत अनुमानित धनराशि रू. 1,90,00,000/-(एक करोड़ नब्बे लाख रूपये) आवंटित/स्वीकृत करने हेतु किए गए अनुरोध के संदर्भ में संयुक्त निदेशक सामग्री प्रबंधन के द्वारा धनराशि का आवंटन प्राप्त होने तक नियमित रूप से पत्राचार एवं फॉलो अप किया जाएगा।

5- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जब तक प्रस्तावित धनराशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक उक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में उक्त टेस्ट हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का वहन किस मद से किया जाए के सम्बन्ध में चर्चा की आवश्यकता है।

बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये–

1. बिंदु संख्या 01 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि Cobas 5800 System (Roche) मशीन में कौन–कौन सी जॉच की जा सकती है, के सन्दर्भ में M/s POCT से आख्या प्राप्त कर ली जाये।
2. बिंदु संख्या 04 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया, चूँकि वर्तमान में विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई भी स्थायी जे.डी.एम.एम. नहीं है, अतः भविष्य में पत्रों एवं अन्य अभिलेखों में जे.डी.एम.एम. पदनाम का उल्लेख न किया जाये। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से विश्वविद्यालय स्तर पर किए गए पत्राचार के कम में धनराशि की स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए फालो अप लिया जाएगा।
3. उपरोक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या–4 व 5 में वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव को आगामी कार्य परिषद में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

एजेण्डा बिन्दु 3.9

आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं मेडिको–लीगल प्रकरणों से सम्बन्धित मरीजों के समुचित प्रबंधन, अभिलेखीकरण एवं अभिलेखों के रख–रखाव हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः– उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेंटर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आकस्मिक दुर्घटनाओं तथा मेडिको–लीगल केस से सम्बन्धित मरीज उपचार हेतु आते हैं। इन संवेदनशील प्रकरणों में मरीजों को तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के साथ–साथ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है। चिकित्सालय में इन प्रक्रियाओं को त्रुटिरहित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से समेकित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमिः– मेडिको–लीगल और आपातकालीन मामलों में प्रबंधन, दस्तावेजीकरण तथा मेडिकल रिकॉर्ड्स के सुरक्षित रख–रखाव को और अधिक सुदृढ़ व सुस्पष्ट करने की आवश्यकता के क्रम में, एस0ओ0पी0 तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी–

<table>
<tr><td></td><td>

1. कार्यालय आदेश संख्या 114/यूपीयूएमएस/सीएमएस/2025–26 दिनांक 07.03.2026 द्वारा समिति का गठन किया गया।
2. समिति द्वारा तैयार एस0ओ0पी0 अग्रेतर कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अपने पत्र संख्या 26/इमरजेंसी/यूपीयूएमएस/ 2026–27 दिनांक 27.04.2026 द्वारा प्रेषित की गयी।
3. मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त एस0ओ0पी0 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र संख्या 105/यूपीयूएमएस/सी0एम0एस0(26)/ 2026–27 दिनांक 12.05.2026 द्वारा चिकित्सालय में लागू किया गया।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय :– समिति द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय में लागू किया जा चुका है, जिसे हास्पिटल बोर्ड के समक्ष इसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावः– चिकित्सालय में आकस्मिक दुर्घटनाओं एवं मेडिको–लीगल प्रकरणों के समुचित प्रबंधन, अभिलेखीकरण एवं अभिलेखों के रख–रखाव हेतु लागू एस0ओ0पी0 हॉस्पिटल बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः– हॉस्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त एस0ओ0पी0 से अवगत होना चाहें।

</td></tr>
<tr><td colspan="2">

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित को एस0ओ0पी0 प्रेषित की जाये तथा एस0ओ0पी0 पर राय/सुझाव उपलब्ध कराने हेतु 07 दिवस का समय दिया जाये। निर्धारित समयावधि में प्राप्त उपयुक्त राय/सुझावों को एस0ओ0पी0 में अपडेट किया जाए एवं कोई भी सुझाव प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जाएगा की किसी भी संबंधित को उक्त एस0ओ0पी0 पर कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया जाये।

</td></tr>
<tr><td>

एजेण्डा बिन्दु 3.10

चिकित्सालय में भर्ती निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस मरीजों के पुनर्वास हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के सम्बन्ध में।

</td><td>

प्रस्तावनाः– उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई में विभिन्न जनपदों से अत्यंत निर्धन, निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस (Unclaimed) मरीज गंभीर अवस्था में उपचार हेतु आते हैं या पुलिस/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लाए जाते हैं। चिकित्सालय प्रशासन द्वारा इन मरीजों का निःशुल्क एवं समुचित उपचार मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत तत्परता से किया जाता है। उपचार उपरान्त ऐसे मरीजों की विधिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु एक समेकित मानक संचालन प्रक्रिय (SOP) की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमिः– चिकित्सालय में भर्ती निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस मरीजों के पुनर्वास के लिए एस0ओ0पी0 तैयार किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 16/यूपीयूएमएस/सी0एम0एस0/2025–26 दिनांक 10.04.2026 द्वारा समिति का गठन किया गया था, समिति द्वारा इस विषय पर एस0ओ0पी0 तैयार की जा चुकी है, जिसपर मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय में लागू किया जा चुका है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय :– समिति ने आपसी समन्वय से लावारिस व बेसहारा मरीजों के कल्याणार्थ एक व्यापक एस0ओ0पी0 तैयार की गयी। तत्पश्चात, माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र संख्या 139/यूपीयूएमएस/सी0एम0एस0(25)/ 2026–27 दिनांक 23.05.2026 द्वारा चिकित्सालय में लागू किया गया है।

प्रस्तावः– चिकित्सालय में भर्ती निराश्रित, बेसहारा एवं लावारिस मरीजों

</td></tr>
</table>

	के पुनर्वास हेतु पत्र संख्या 139/यूपीयूएमएस/सी0एम0एस0(25)/2026–27 दिनांक 23.05.2026 द्वारा लागू की गयी एस0ओ0पी0 हास्पिटल बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त एस0ओ0पी0 से अवगत होना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी सम्बन्धित को एस0ओ0पी0 प्रेषित की जाये तथा एस0ओ0पी0 पर राय/सुझाव उपलब्ध कराने हेतु 07 दिवस का समय दिया जाये। निर्धारित समयावधि में प्राप्त उपयुक्त राय/सुझावों को एस0ओ0पी0 में अपडेट किया जाए एवं कोई भी सुझाव प्राप्त न होने की दशा में यह मान लिया जाएगा की किसी भी संबंधित को उक्त एस0ओ0पी0 पर कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात एस0ओ0पी0 को लागू कर दिया जाये।	
एजेण्डा बिन्दु 3.11 **मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पी.सी.टी. टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः** – हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2. 20 (**मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में**) में निम्नलिखित निर्णय लिए गये थे– 1. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा किए जा रहे पीसीटी प्रति टेस्ट का मूल्य (रू.679/–) एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा किए जा रहे पीसीटी टेस्ट का तुलनात्मक विवरण। 2. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा पीसीटी टेस्ट हेतु उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/ Reagent का मूल्य एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/Reagent के मूल्य का विवरण। **पृष्ठभूमिः** – उक्त के कम में प्रभारी, सेन्ट्रल बायोकेमिस्ट्री लैब द्वारा अपने पत्र संख्या 797/ सीबीएल/ यूपीयूएमएस/ 2026–27 दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से निम्नानुसार आख्या उपलब्ध करायी गयी है– 1. At present, Procalcitonin (PCT) testing in the Central Biochemistry Laboratory is being performed by a fully automated CLIA (Chemiluminescence Immunoassay) method and not by any point of care testing (POC) device. 2. The present user charge for PCT testing in the laboratory is Rs. 1500/- per test. 3. Currently, the PCT test facility is available only during the working hrs. (9:00AM to 08:00PM) 4. A new fully automated dry chemistry analyzer (Vitros 5600) is going to be installed in the Central Biochemistry Laboratory for 24x7 laboratory services. After installation and operationalization of this system, PCT testing will be available round the clock, and reports are expected to be released within approximately 4-5 hours from sample receipt. 5. It is further submitted that PCT is not considered an immediate emergency investigation requiring instant bedside reporting. At present no POC device for PCT testing is available in our laboratory. Neither has any such POC device been previously demanded by the department nor received for installation. 6. In my opinion, there is presently no urgent clinical

	requirement for a dedicated POC device for PCT testing, as the investigation is being efficiently performed in the Central Laboratory using a more reliable and better automated technology platform with appropriate quality control measures. **नियम / कृत कार्यवाही / निष्कर्ष / निर्णयः** – हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक के एजेण्डा बिन्दु 2.20 में लिए गये निर्णय के कम में प्रभारी, सेन्ट्रल बायोकेमिस्ट्री लैब द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के दृष्टिगत आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System की आवश्यकता नहीं है। जिसपर हास्पिटल बोर्ड के स्तर से निर्णय लिया जाना है। **प्रस्तावः** – प्रभारी, सेन्ट्रल बायोकेमिस्ट्री लैब द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार A new fully automated dry chemistry analyzer (Vitros 5600) is going to be installed in the Central Biochemistry Laboratory for 24x7 laboratory services. After installation and operationalization of this system, PCT testing will be available round the clock, and reports are expected to be released within approximately 4-5 hours from sample receipt. अतः चिकित्सालय के आईसीयू में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System स्थापित करने के बजाय सेन्ट्रल बायोकमेस्ट्री लैब में ही पी0सी0टी0 जॉच करायी जाये। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मेसर्स अनिल सर्जिकल एवं M/s POCT द्वारा प्रस्तुत PCT Test हेतु दर एवं PCT Test हेतु चिकित्सालय में आने वाली लागत का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाये। तत्पश्चात न्यूनतम दर वाली फर्म को एम0आई0सी0यू0 में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मशीन लगाने हेतु अधिकृत किया जायेगा।	
एजेण्डा बिन्दु 3.12 **विश्वविद्यालय के सभी संकायों में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 के अनुमोदन के संबंध में।**	**प्रस्तावनाः**– विश्वविद्यालय के सभी संकायों में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने हेतु तैयार करने हेतु हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के एजेण्डा बिन्दु–2.9 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के कम में कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या 1094 / यूपीयूएमएस / कुल0कार्या0 (3041–सीडी) / 2026–27 दिनांक 08.06.2026 द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपनी आख्या / एस0ओ0पी0 पत्र संख्या 157 / यूपीयूएमएस / संकायाध्यक्ष (चि0)–88 / 2026 –27 दिनांक 09.06.2026 द्वारा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जोकि निम्नवत है– To start a **6-month Observership Program** in the Various Faculty (Medicine, Paramedical, Pharmacy, Nursing & Dental) of U.P University of Medical Sciences, Saifai, Etawah for Undergraduate (UG) and Postgraduate (PG) courses. 1. Observership will be provided to candidates who have completed their course and are registered with the Respective Council. 2. **Observership Fee:** A fee of Rs.18000/- (3000/- Per Month) for Observership shall be charged in advance from Indian trainees for the selected duration. 3. The Observership will be arranged in consultation with the concerned department/ discipline. **This Observership will not**

	lead to the award of any degree or diploma. 4. Observership shall be conducted in the concerned department subject to the consent of the respective Head of Department (HOD) and approval of the concerned Dean. 5. Due to limited hostel accommodation, trainees will be required to make their own arrangements for stay. **The University shall not provide hostel facilities.** 6. Interested candidates must submit their Curriculum Vitae (CV), application in the prescribed format, and photocopies of relevant certificates/testimonials for evaluation by the concerned Dean. 7. Applications will be processed on a first-come, first-served basis. 8. All correspondence should be addressed to the concerned Dean. 9. The concerned Head of Department (HOD) shall initiate the process by sending a requisition to the concerned Dean, who will forward the proposal with recommendations to the Hon'ble Vice Chancellor for final approval. 10. As per the consent of the Head of the Department and confirmation from Account Section about Fee, candidate will be allowed for observership. 11. The Final Observership Completion Certificate shall be issued by the concerned Dean after receipt of the completion report and No Dues Certificate. 12. An affidavit will be submitted by the candidate to follow all the rule and regulations of the University. 13. The Hon'ble Vice Chancellor shall have the authority to modify, suspend, or terminate the Observership Program at any time without prior notice, if deemed necessary in the interest of the University. **प्रस्तावः** – विश्वविद्यालय के सभी संकायों में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने हेतु तैयार की गयी एस0ओ0पी0 को हास्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 के एजेण्डा बिन्दु–2.9 में लिए गये निर्णय के कम में विद्या परिषद में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमोदन। **बोर्ड से अपेक्षित निर्णयः**– हास्पिटल बोर्ड से अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए एस0ओ0पी0 में निम्नलिखित संशोधनों/समावेश (Inclusion) करने हेतु निर्देशित किया गया–

1. बिन्दु सं.–2 भारतीय प्रशिक्षुओं से ऑब्जर्वरशिप की अवधि के लिए रू.3,000/– प्रति माह की दर से रू. 18,000/– (केवल अठारह हजार रुपये) का शुल्क अग्रिम रूप से लिया जाएगा। विदेशी प्रशिक्षुओं पर लागू होने वाले ऑब्जर्वरशिप शुल्क का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि एक बार विश्वविद्यालय के किसी विभाग में आब्जरवरशिप कर लेता है, तो वह आवश्यकतानुसार दुबारा भी आब्जरवरशिप कर सकता है, जिस हेतु अवधि की कोई बाध्यता नहीं होगी। अभ्यर्थी को जितनी अवधि के लिए आब्जरवरशिप करनी होगी, उतनी ही अवधि का शुल्क जमा करना होगा।
2. विश्वविद्यालय में आब्जरवरशिप हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र/प्रार्थनापत्र सम्बन्धित कालेज (जहॉ विद्यार्थी अध्ययनरत रहा हो) के प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष/सक्षम स्तर से स्पष्ट संस्तुति के साथ विश्वविद्यालय हेतु अग्रसारित होने चाहिए।
3. अभ्यर्थियों के प्रार्थनापत्र सम्बन्धित संकायाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे।
4. यदि अभ्यर्थी किसी विशिष्ट संकाय सदस्य के अधीन आब्जरवरशिप करना चाहता है, तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. बिन्दु संख्या– 6. Interested candidates must submit their Curriculum Vitae (CV), application in the prescribed format, and photocopies of relevant certificates/testimonials for evaluation by the concerned HOD.

6. बिन्दु संख्या–7 (Applications will be processed on a first-come, first-served basis) को डिलिट करना है। आब्जरवरशिप हेतु सीटों की कोई लिमिट नहीं होगी। परन्तु यदि विभागाध्यक्ष चाहें तो उपयुक्त कारण बताते हुए अब्जरवरशिप हेतु मना कर सकते हैं।
7. बिन्दु संख्या–8 All correspondence should be addressed to the concerned Dean through HOD.
8. विश्वविद्यालय में संचालित सभी विभागों के साथ–साथ एम0आर0डी0/लाईब्रेरी इत्यादि स्थानों में भी आब्जरवरशिप करायी जा सकती है।
9. प्रत्येक विभाग अपनी–अपनी एस0ओ0पी0 तैयार करेगा तथा अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा।

कुलसचिव कार्यालय के आदेश संख्या 1094/यूपीयूएमएस/कुल0कार्या0 (3041–सीडी)/2026–27 दिनांक 08.06.2026 द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 में उसी समिति द्वारा उपरोक्तानुसार संशोधन/समावेश (Inclusion) करते हुए संशोधित एस0ओ0पी0 पर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त लागू करना सुनिश्चित किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 3.13

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्थान (UPUMS), सैफई में Enhanced Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया के संबंध में।

प्रस्तावनाः – उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्थान (UPUMS), सैफई द्वारा राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं, क्लिनिकल कार्यप्रवाहों (Clinical Workflows), अस्पताल सूचना प्रबंधन (Hospital Information Management), ABDM– अनुपालन तथा स्वास्थ्य संस्थानों के डिजिटल एकीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक उन्नत, Clinician-Friendly, Interoperable एवं Scalable Hospital Information Management System (HIMS) Framework विकसित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

पृष्ठभूमिः –

1- UPUMS, सैफई द्वारा दिनांक 07.03.2026 को उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष राज्य की डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने हेतु एक उन्नत HIMS Framework का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।
2- तत्पश्चात दिनांक 20.03.2026 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसके क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.04.2026 को जारी कार्यवृत्त में UPUMS को इस पहल हेतु State Nodal Agency के रूप में कार्य करने तथा उपयुक्त मॉडल विकसित करने हेतु निर्देशित किया गया।
3- विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28.03.2026 में भी इस विषय पर विचार किया गया तथा परियोजना की दिशा में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का संज्ञान लिया गया।

कृत कार्यवाही/निष्कर्षः –

1- परियोजना के तकनीकी, नैदानिक एवं परिचालन पक्षों के मूल्यांकन हेतु एक Technical Evaluation & Workflow Assessment Committee गठित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के आंतरिक सदस्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के बाह्य विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया गया।
2- बाह्य तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में AIIMS Guwahati के श्री धीरन राय तथा JNMCH, AMU Aligarh के श्री समीर सईद को समिति में सम्मिलित किया गया।
3- समिति की बैठकें दिनांक 23.05.2026 एवं 13.06.2026 को आयोजित की गईं, जिनमें HIMS Framework, Clinical Workflow Requirements, Interoperability Requirements, Technical Specifications, Scope of Work तथा Request for Proposal (RFP) के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।
4- समिति द्वारा प्राप्त सुझावों एवं टिप्पणियों को सम्मिलित करते

	हुए RFP का परिष्कृत प्रारूप तैयार किया गया है तथा अंतिम तकनीकी परीक्षण एवं कार्यवृत्तों के औपचारिक अनुमोदन/अंतिमीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है। 5- प्रस्तावित RFP के माध्यम से एक उपयुक्त Public Sector Undertaking (PSU) को Programme Implementation Agency (PIA) के रूप में चयनित किए जाने का प्रस्ताव है, जो उन्नत HIMS Framework के कार्यान्वयन, समन्वय, तकनीकी प्रबंधन एवं परियोजना संचालन से संबंधित कार्यों का दायित्व निर्वहन करेगी। 6- RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। **प्रस्तावः** – हॉस्पिटल बोर्ड के समक्ष निम्नलिखित विषय सूचना एवं अभिलेख हेतु प्रस्तुत हैं– 1- उन्नत Hospital Information Management System (HIMS) Framework के विकास एवं क्रियान्वयन के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रगति का संज्ञान ग्रहण किया जाए। 2- Programme Implementation Agency (PIA) के चयन हेतु तैयार किए जा रहे RFP एवं प्रस्तावित निविदा प्रक्रिया की प्रगति का संज्ञान ग्रहण किया जाए। 3- RFP के अंतिम रूप प्रदान किए जाने के उपरांत लागू नियमों एवं शासनादेशों के अनुरूप निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने की प्रस्तावित कार्यवाही को अभिलेखित किया जाए।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा इस एजेण्डा बिन्दु एवं प्रस्ताव को नोट किया गया तथा आगामी कार्य परिषद में नवीन एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।	
टेबल एजेण्डा	
एजेण्डा बिन्दु 3.14 **विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।**	**प्रस्तावः** – हॉस्पिटल बोर्ड में टेबल एजेण्डा के रूप में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने की कार्यवाही जारी है। इस हेतु एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जानी है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णयः – हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय में डायलिसिस हेतु पी0पी0पी0 माडल के आधार पर डायलिसिस सेवा प्रारम्भ करने हेतु एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा अधीक्षक को सैद्धान्तिक रूप से नामित किये जाने पर सहमति दी गयी। साथ ही निर्देशित किया गया कि एस0ओ0पी0 तैयार कर आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाये तदोपरान्त हॉस्पिटल बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाये।	

चिकित्सा अधीक्षक/संयोजक– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा बैठक के अंत में हॉस्पिटल बोर्ड के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

(प्रो0 (डॉ0) अमित सिंह)
चिकित्सा अधीक्षक
एवं संयोजक हॉस्पिटल बोर्ड,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा

(प्रो0 (डा0) रमाकान्त यादव)
प्रति–कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह)
कुलपति
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा